फा.सं.-सीएसआर/13/35/2024
भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(पीएमआईएस सेल)
****

तीसरा तल, कर्तव्य भवन 1,
मान सिंह रोड,
नई दिल्ली – 110001

दिनांक: 12.03.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: "प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) - पायलट परियोजना (वित्तीय वर्ष 2025-26 और 26-27)" के लिए दिशानिर्देश

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा बजट 2024-25 में शीर्ष कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के माध्यम से, युवाओं को विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों में वास्तविक व्यवसायिक वातावरण का अनुभव प्राप्त होगा।

2. इस योजना की शुरुआत के रूप में, जिसमें कई हितधारक और कौशल की नवीन अवधारणाएं शामिल हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष कंपनियों का चयन पिछले तीन वर्षों के औसत सीएसआर व्यय के आधार पर किया गया था।

पीएम इंटर्नशिप योजना की पायलट परियोजना को वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान दो चरणों में लागू किया गया था। अब इस पायलट प्रोजेक्ट को दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 1.10 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। इस पायलट परियोजना में कंपनियों की साझेदारी स्वैच्छिक है।

3. इस पायलट परियोजना के प्रयोजनार्थ, इंटर्नशिप को इंटर्न एवं कंपनी के बीच एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसके अंतर्गत कंपनी इंटर्न को प्रशिक्षण प्राप्त करने, वास्तविक व्यावसायिक अथवा संगठनात्मक परिवेश में अनुभव तथा कौशल अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है जो अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को पाटने में सहायक होती है तथा इसके परिणामस्वरूप इंटर्न की रोजगार-क्षमता में वृद्धि होती है।

इस पायलट परियोजना के उद्देश्य के लिए इंटर्न को कर्मचारी नहीं माना जाएगा जैसा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.09.2024 के माध्यम से स्पष्ट किया है।

4. यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही कौशल विकास, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप आदि से संबंधित सभी मौजूदा योजनाओं से अलग है और ऐसी सभी केंद्रीय/राज्य योजनाओं से स्वतंत्र रूप से चलेगी।

5. पायलट परियोजना विस्तार की मुख्य विशेषताएं

5.1 इंटर्नशिप की अवधि: इंटर्नशिप की अवधि इंटर्नशिप की प्रकृति, क्षेत्र और कंपनी की आवश्यकता के आधार पर 6 या 9 महीने होगी। इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव/कार्य वातावरण में बिताया जाना चाहिए, न कि कक्षा में।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पायलट प्रोजेक्ट के मौजूदा इंटर्न के लिए इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने रहेगी।

5.2 अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मानदंड

5.2.1 आयु: ऐसे युवा, जिनकी आयु (आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के अनुसार) 18 से 25 वर्ष के बीच हो जो भारतीय नागरिकता के हों तथा पूर्णकालिक रूप से कार्यरत न हों।

5.2.2 शैक्षिक योग्यताएँ: ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल अथवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, या पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा धारक हों, अथवा बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.फार्मा., बी.ई./बी.टेक. आदि जैसी स्नातक उपाधि धारक हों, अथवा एम.ए., एम.एससी., एम.कॉम., एम.सी.ए., एम.टेक. आदि जैसी स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों, वे आवेदन करने के पात्र होंगे।

अभ्यर्थियों को पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए। तथापि, ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित अभ्यर्थी या पूर्णकालिक स्नातक या स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में नामांकित अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं। पूर्णकालिक, अंतिम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को शामिल करने के संबंध में दिशा-निर्देश अलग-अलग जारी किए जाएंगे।

5.2.3 अपात्रता मानदंड: निम्नलिखित व्यक्ति भाग लेने के लिए अपात्र हैं:

(i) IIT, IIM, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, IISER, NID, IIIT और IISC से स्नातक/स्नातकोत्तर।
(ii) जिनके पास CA, CMA, CAS, MBBS, BDS, MD, MS, MBA या समकक्ष, Mphil और PhD जैसी योग्यता है।
(iii) जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत किसी भी कौशल, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
(iv) जिन लोगों ने किसी भी समय नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) के तहत अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है।
(v) यदि आवेदन जमा करने की तारीख को पिछले वित्त वर्ष में अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य की आय 12 लाख रुपये से अधिक है।
(vi) यदि परिवार का कोई सदस्य स्थायी/नियमित सरकारी कर्मचारी है।

नोट: पायलट परियोजना के प्रयोजनों के लिए:

(i) "परिवार" का अर्थ है स्वयं, माता-पिता और जीवनसाथी।

(ii) "सरकार" का अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, केंद्र और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक संगठन, स्थानीय निकाय आदि।
(iii) "कर्मचारी" का अर्थ है नियमित/स्थायी कर्मचारी लेकिन इसमें संविदात्मक कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

5.3 कंपनियों (साझेदार कंपनियों) के भाग लेने के लिए मानदंड

5.3.1 निम्नलिखित श्रेणियों के कंपनियां/संगठन भाग लेने के पात्र हैं:

क) पायलट प्रोजेक्ट (प्रथम और द्वितीय चरण) में भाग लेने वाली साझेदार कंपनियां पायलट प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के लिए पात्र बनी रहेंगी। इसके अलावा, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23) में से प्रत्येक में सीएसआर व्यय करने वाली और निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाली कंपनियां पात्र हैं:

(i) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत सीएसआर व्यय के आधार पर शीर्ष 2000 कंपनियां
(ii) तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार
(iii) पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति
(iv) कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों की कंपनियां

उपरोक्त मानदंड (ii), (iii) और (iv) के तहत आने वाली कंपनियों के लिए चयन मानदंड सहित एक विस्तृत एसओपी कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

ख) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कंपनियां/संगठन भी कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन पात्र हैं

i. व्यावसायिक संघ/संस्थान (जैसे, ICAI, ICSI, ICMAI)
ii. क्षेत्रीय संघों के माध्यम से चयनित एमएसएमई
iii. वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs)
iv. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs)
v. राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित कंपनियां
vi. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय नौवहन निगम आदि जैसे सांविधिक प्राधिकरण श्रेणी बी में उल्लिखित कंपनियों/संगठनों के लिए ऑनबोर्डिंग और कार्यान्वयन तंत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक विस्तृत एसओपी अलग से जारी की जाएगी।

5.3.2 साझेदार कंपनी अपनी कंपनी में ऐसे इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर सकती है या वह निम्नलिखित साझेदारी कर सकती है:

- अपनी अग्र और पश्च आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कंपनियां/एमएसएमई (जैसे नेटवर्क संस्थाएं/सहायक कंपनियां/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता आदि)), या;
- इसके समूह में अन्य कंपनियां/संस्थाएं।

5.3.3 इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट करने के लिए अधिकतम सीमा: इंटर्नशिप अवसरों की कुल संख्या किसी कंपनी/संगठन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें उसके स्थायी और संविदा कर्मचारी दोनों शामिल हों। नेटवर्क संस्थाओं/सहायक कंपनियों/आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं आदि के मामले में, कुल संख्या को अलग-अलग माना जाना चाहिए, न कि उनकी साझेदार/होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित किया जाना चाहिए। कंपनी/संगठन/नेटवर्क इकाई/सहायक/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता को पीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से स्व-घोषणा के आधार पर अपनी कुल संख्या प्रदान करनी होगी।

5.4 सहायता और लाभ: यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना है। योजना की पायलट परियोजना के तहत दी जाने वाली सहायता, वित्तीय लाभ और वित्तपोषण पद्धति का विवरण नीचे दिया गया है:

5.4.1 इंटर्न को मासिक सहायता- इंटर्नशिप की संपूर्ण अवधि के लिए इंटर्न को ₹9,000 प्रति माह की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें से, प्रत्येक माह कंपनी द्वारा अपने सीएसआर निधि अथवा स्वयं की निधि से प्रत्येक इंटर्न को कुल मासिक सहायता का 10 प्रतिशत, अर्थात् ₹900, का भुगतान किया जाएगा। कंपनी/संगठन द्वारा उक्त भुगतान किए जाने के उपरांत सरकार अपनी ₹8,100 की हिस्सेदारी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इंटर्न के आधार से जुड़े बैंक खाते में अंतरित करेगी। कंपनी द्वारा देय ₹900 प्रतिमाह की राशि इंटर्न की उपस्थिति तथा संबंधित कंपनी की नीतियों के अनुपालन के अनुसार आनुपातिक रूप से निर्धारित की जा सकती है। सरकार की हिस्सेदारी भी कंपनी/संगठन द्वारा किए गए भुगतान की राशि के अनुसार आनुपातिक रूप से निर्धारित की जाएगी। मासिक सहायता की उपर्युक्त राशि मार्च, 2026 से चल रहे पायलट परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत इंटर्न पर भी उनकी इंटर्नशिप की शेष अवधि के लिए लागू होगी।

यदि कोई कंपनी/संगठन ₹900 से अधिक मासिक सहायता प्रदान करना चाहती है, तो वह अपने स्वयं की निधि से ऐसा कर सकती है। साझेदार कंपनियां मासिक सहायता के अपने हिस्से का भुगतान करेंगी और कार्यालय ज्ञापन संख्या सीएसआर-13/35/2024 (पीएमआईएस) दिनांक 01/09/2025 के अनुसार हर महीने की 5 तारीख से पहले समय पर पोर्टल पर भुगतान विवरण अपलोड करेंगी।

5.4.2 आकस्मिक अनुदान: सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से ₹3,000 की दो किश्तों में प्रत्येक इंटर्न को ₹6,000 का एकमुश्त आकस्मिक अनुदान, इंटर्नशिप में शामिल होने के 15 दिनों के भीतर पहली किश्त, और इंटर्नशिप के 3 महीने पूरे होने के 15 दिनों के भीतर दूसरी किश्त वितरित की जाएगी।

5.4.3 प्रशिक्षण लागत: योजना की पायलट परियोजना के तहत इंटर्न के प्रशिक्षण से संबंधित व्यय, मौजूदा नियमों के अनुसार, कंपनी/संगठन द्वारा अपने सीएसआर निधि या स्वयं के निधि से वहन किया जाएगा।

5.4.4 बीमा कवरेज: सरकार प्रत्येक इंटर्न को जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करेगी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBVY) के तहत कवरेज और लाभ प्रदान करेगी। इसके अलावा, कंपनी इंटर्न को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती है।

5.4.5 प्रशासनिक लागत: कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसार इस योजना के पायलट परियोजना के तहत कवर किए गए सीएसआर व्यय के 5% तक को कंपनी द्वारा प्रशासनिक लागत के रूप में दर्ज किया जा सकता है। ऐसी कंपनियां/संगठन जो प्रशासनिक व्यय वहन करते हैं, लेकिन सीएसआर नियमों के दायरे में नहीं आते हैं, वे ऐसी लागतों को अपने स्वयं की निधि से पूरा कर सकते हैं।

5.5 कार्यान्वयन तंत्र

5.5.1 कार्यान्वयन संरचना: कारपोरेट कार्य मंत्रालय एक नोडल एजेंसी के रूप में केंद्रीय स्तर पर योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। योजना की इस पायलट परियोजना के कार्यान्वयन में उद्योग संघों, साझेदार कंपनियों/संगठनों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार और अन्य जैसे अन्य हितधारकों का सहयोग रहेगा। हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन अनुलग्नक-I में किया गया है।

5.5.2 इस योजना की पायलट परियोजना कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल (www.pminternship.mca.gov.in) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। पोर्टल संपूर्ण कार्यान्वयन और इंटर्नशिप जीवनचक्र प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है।

5.5.3 इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट करने की प्रक्रिया: पोर्टल पर प्रत्येक साझेदार कंपनी को इंटर्नशिप के अवसरों को पोस्ट करने के लिए एक समर्पित खाता प्रदान किया जाएगा। इंटर्नशिप के अवसरों में दी जा रही इंटर्नशिप का विवरण शामिल होगा, जैसे स्थान, अवधि, इंटर्नशिप की प्रकृति, आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन/सुविधाएं आदि। कंपनियां पायलट परियोजना की अवधि के दौरान निरंतर आधार पर इंटर्नशिप पोस्ट करने में सक्षम होंगी।

5.5.4 अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण/आवेदन प्रक्रिया: योग्य अभ्यर्थी को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, पोर्टल द्वारा एक बायोडाटा तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को पसंदीदा क्षेत्रों, कार्यात्मक भूमिकाओं, स्थानों और अन्य मानदंडों के लिए ब्राउज़िंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर इंटर्नशिप के अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें स्थान (राज्य, जिला), क्षेत्र, कार्यात्मक भूमिका और योग्यता शामिल हैं। अभ्यर्थी पायलट परियोजना अवधि के दौरान इंटर्नशिप के लिए पंजीकरण और आवेदन निरंतर आधार पर करने में सक्षम होंगे।

5.5.5 छंटनी और चयन: पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक इंटर्नशिप अवसर के लिए अभ्यर्थियों के एक पूल का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों की प्राथमिकताओं और कंपनियों द्वारा पोस्ट की गई आवश्यकताओं पर आधारित होगी। चयन प्रक्रिया में, उन मानदंडों पर विचार किया जाएगा जो आवेदक वर्ग में व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। चयन मानदंड का उद्देश्य इंटर्नशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ दिव्यांगजनों जैसे सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए साधनों का उपयोग होगा। इंटर्नशिप के अवसरों की संख्या और प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और चयन के लिए कंपनी को भेजा जाएगा। अपने संबंधित चयन मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर कंपनियां अभ्यर्थियों का चयन कर सकेंगी और इंटर्नशिप ऑफर दे सकेंगी। एक बार जब कंपनी द्वारा अभ्यर्थियों को प्रस्ताव भेजा जाता है, तो अभ्यर्थी पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति

व्यक्त करने में सक्षम होगा। पायलट परियोजना के लिए एक विस्तृत कार्यान्वयन तंत्र अनुलग्नक-II में दिया गया है। यह तंत्र कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित परिवर्तनों के अधीन होगा।

5.5.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि इंटर्नशिप का प्रस्ताव मंत्रालय अथवा संबंधित कंपनी और चयनित इंटर्न के मध्य नियोक्ता–कर्मचारी के किसी संविदात्मक अथवा विधिक संबंध को स्थापित नहीं करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की इंटर्नशिप का प्रस्ताव, इंटर्नशिप की अवधि के दौरान या उसके पश्चात्, संबंधित कंपनी अथवा मंत्रालय द्वारा भविष्य में रोजगार के किसी प्रस्ताव अथवा आश्वासन के रूप में नहीं माना जाएगा।

5.5.7 परिचालन दिशानिर्देश: पायलट परियोजना में भाग लेने के लिए कंपनियों और युवाओं के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश पोर्टल पर प्रदान किए जाएंगे।

5.6 सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की मान्यता: मंत्रालय द्वारा साझेदार कंपनियों/संगठनों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, नवाचार तथा अन्य निर्धारित मानदंडों के आधार पर मान्यता प्रदान की जाएगी और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जैसा कि साझेदार कंपनियों के लिए कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/09/2025-पीएमआईएस सेल दिनांक 17.12.2025 एवं 30.01.2026 तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/09/2025-पीएमआईएस सेल दिनांक 17.12.2025 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाएंगे।

5.7 शिकायत निवारण तंत्र: हितधारकों द्वारा सामना किए जाने वाले सरोकारों और मुद्दों को दूर करने और समय पर समाधान सुनिश्चित करने और उपयोगकर्ताओं की समग्र संतुष्टि बढ़ाने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। शिकायत निवारण प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

(i) **पोर्टल:** इंटर्न, कंपनियों आदि सहित सभी हितधारक पोर्टल से जुड़े चैटबॉट सहित प्रश्न निवारण साधनों से अपने प्रश्न या शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। इन साधनों की परिकल्पना प्रश्नों के आसान पंजीकरण, वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और समाधान की स्थिति पर अपडेट की सुविधा के लिए की गई है।

(ii) **समर्पित कॉल सेंटर:** हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और प्रश्नों का समाधान करने के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर मौजूद है।

6. प्रशासनिक और निगरानी ढांचा

6.1 योजना की पायलट परियोजना के डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और अन्य पहलुओं की निगरानी के लिए एक निगरानी और संचालन समिति (एमएससी) गठित की गई है। एमएससी में एमसीए, अन्य मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं। एमएससी को पायलट परियोजना के दिशानिर्देशों, पात्रता, चयन मानदंड, संचार और जनसंपर्क रणनीति, निगरानी, मूल्यांकन आदि में, संशोधन सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं कोई भी सिफारिशें करने का

अधिकार है। मंत्रालय प्रभावी कार्यान्वयन, समीक्षा और समन्वय के लिए किसी अन्य समिति (समितियों) का भी गठन कर सकता है।

6.2 एमसीए पोर्टल/कॉल सेंटर के माध्यम से स्थापित मौजूदा फीडबैक तंत्र और स्वतंत्र तृतीय पक्षों द्वारा किए गए समवर्ती अध्ययनों के माध्यम से पायलट परियोजना के परिणामों की बारीकी से निगरानी और मूल्यांकन करना जारी रखेगा। सभी मोर्चों पर संपूर्ण कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) और आवधिक डेटा रिपोर्ट को इंगित करने वाला एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है। एक व्यापक समवर्ती निगरानी, मूल्यांकन और शिक्षण (एमईएल) ढांचा जारी किया जाएगा ताकि सभी हितधारकों द्वारा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

6.3 कॉल सेंटर: पूछताछ और शिकायतों का समाधान करने, इंटर्नशिप अनुभव पर प्रतिक्रिया एकत्र करने और अभ्यर्थियों को प्रस्ताव स्वीकार करने और इंटर्नशिप में शामिल होने के लिए सक्रिय रूप से प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत इनबाउंड और आउटबाउंड कॉलिंग सिस्टम के माध्यम से एक बहुभाषी कॉल सेंटर स्थापित किया गया है।

6.4 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: एकमुश्त सहायता और मासिक सहायता की सुचारू और समय पर प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एनपीसीआई और पीएफएमएस के साथ पीएमआईएस पोर्टल के एकीकरण के माध्यम से एक स्वचालित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली को सक्षम किया गया है।

7. संचार, जागरूकता और क्षमता निर्माण: योजना की पायलट परियोजना को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने और इसके लाभों को उजागर करने हेतु संचार, समर्थन और क्षमता निर्माण पहलें की जाएंगी। अभ्यर्थियों और उद्योग की साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए पोर्टल पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू), उपयोगकर्ता मैनुअल, निर्देशात्मक वीडियो और सूचनात्मक सामग्री प्रदान की जाएगी।

8. राज्य सरकारों के साथ समन्वय: राज्य सरकारों/पीआरआई/यूएलबी के साथ समन्वय आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

9. पायलट परियोजना से सीख: योजना की व्यापकता और जटिलता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पायलट परियोजना विस्तार एक महत्वपूर्ण चरण है जो पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले अवधारणाओं, रणनीतियों और प्रणालियों के परीक्षण की अनुमति देता है। पायलट परियोजना विस्तार के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबैक और परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर, मंत्रालय द्वारा सीखे गए सबक को

संकलित किया जाएगा। बजट 2024-25 में घोषित पीएम इंटर्नशिप योजना के पहले चरण को लागू करते समय इसे ध्यान में गया था।

10. यह माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(बालामुरुगन डी.)
संयुक्त सचिव

सेवा में,

1. कारपोरेट कार्य महानिदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
2. सभी प्रादेशिक निदेशक और
3. सभी कंपनी रजिस्ट्रार

प्रति प्रेषित:

1. सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
2. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
3. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय
4. सचिव, समन्वय, कैबिनेट सचिवालय
5. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय
6. सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
7. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
8. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
9. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय
10. सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
11. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
12. सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
13. सचिव, युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
14. सीईओ, नीति आयोग
15. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस योजना के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करें।
16. माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री के निजी सचिव
17. माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री के निजी सचिव
18. मुख्य लेखा नियंत्रक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
19. गार्ड फ़ाइल

अनुलग्नक – I

योजना की पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	हितधारक	भूमिकाएं और दायित्व
1	कारपोरेट कार्य मंत्रालय / प्रादेशिक निदेशकों / कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय	• सभी स्तरों पर योजना की पायलट परियोजना की योजना बनाना, निष्पादन करना, निगरानी करना और मूल्यांकन करना • केंद्र और राज्य सरकारों के साथ समन्वय • पीएमआईएस पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन का विकास और केंद्रीय डाटा भंडार का रखरखाव • साझेदार कंपनियों/संगठनों और उद्योग संघों के साथ सहयोग • पायलट परियोजना, मानक संचालन प्रक्रियाओं और संचालन नियमावली के लिए योजना दिशानिर्देशों का विकास • आधार द्वारा प्रमाणित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में लाभार्थियों को धनराशि का वितरण • योजना की पायलट परियोजना की पहुंच और जागरूकता में सुधार के लिए सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाना • प्रादेशिक निदेशालयों और कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय राज्य सरकारों और पीएमआईएस साझेदार कंपनियों के समन्वय से अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर इंटर्नशिप के अवसरों के लिए आवश्यक स्थान और योग्यता के आधार पर लक्षित जागरूकता एवं भागीदारी अभियान निरंतर आधार पर चलाएंगे।
2	साझेदार कंपनियां	• योजना की पायलट परियोजना को लागू करने के लिए पीएमआईएस सेल की स्थापना करना • कंपनी की जरूरतों के अनुरूप भूमिकाओं और सीखने के परिणामों की पहचान करके इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना • पीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से इंटर्न का चयन करना, जिसमें ऑनबोर्डिंग और ऑफर लेटर जारी करना शामिल है • नियुक्त पर्यवेक्षकों के माध्यम से कार्यस्थल प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण और नियमित मार्गदर्शन प्रदान करना • इंटर्न प्रगति की निगरानी करना और तिमाही प्रदर्शन रिपोर्ट सहित परिणामों की रिपोर्टिंग करना। • पायलट परियोजना योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार साझेदारी और समापन प्रमाणन जारी करना।

क्र.सं.	हितधारक	भूमिकाएं और दायित्व
		• शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रभावी ढंग से समाधान करना। • पायलट परियोजना के लिए योजना मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना, निष्पक्ष व्यवहार, सुरक्षा और इंटर्नशिप अनुभव की गुणवत्ता बनाए रखना। • साझेदार कंपनियों द्वारा मासिक सहायता राशि के अपने हिस्से का भुगतान करना और हर महीने की 5 तारीख से पहले समय पर पोर्टल पर भुगतान विवरण अपलोड करना। • दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अक्षरशः और भावनानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी।
3	उद्योग संघ	• पात्र कंपनियों की सूची प्राप्त करें और उनकी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में सहायता करना • कार्यशालाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाना। • योजना की पायलट परियोजना में सुधार के लिए उद्योग जगत की प्रतिक्रिया को सही दिशा में लगाना • भाग लेने वाली कंपनियों का क्षमता निर्माण
4	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें	• पीएमआईएस प्रकोष्ठ का गठन और एक राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति, जो राज्य सरकार और एमसीए/पीएमआईएस टीम के बीच संपर्क के एकमात्र बिंदु के रूप में कार्य करेगा • जिला स्तरीय प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए जिला नोडल अधिकारियों (डीएनओ) का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना • नियमित एमआईएस समीक्षा के माध्यम से पंजीकरण, इंटर्नशिप आवंटन, ज्वाइनिंग और समापन की निगरानी करना। • मुद्दों का अभिसरण और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख विभागों (कौशल, उच्च शिक्षा, उद्योग, श्रम, आदि) के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करना • नीतिगत स्तर की चिंताओं और कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को एमसीए टीम तक पहुंचाना और सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना • लक्षित समूहों के बीच पीएमआईएस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रादेशिक निदेशालयों और कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में एमसीए अधिकारियों के साथ समन्वय और सहयोग करना। • राज्य पीएमयू की निगरानी करना और उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना। राज्य पीएमयू को कारपोरेट

क्र.सं.	हितधारक	भूमिकाएं और दायित्व
		कार्य मंत्रालय द्वारा सहयोग किया जाएगा, और इसके परिचालन दिशानिर्देशों को संबंधित हितधारकों के परामर्श से अधिसूचित किया जाएगा।

अनुलग्नक - II

कार्यान्वयन तंत्र

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने www.pminternship.mca.gov.in पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल पायलट परियोजना के संपूर्ण कार्यान्वयन और इंटर्नशिप जीवनचक्र प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करेगा।

2. पोर्टल और अन्य कार्यान्वयन प्रक्रियाओं का व्यापक अवलोकन निम्नानुसार है:

2.1 साझेदार कंपनियों की सूची: साझेदार कंपनियों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

2.2 इंटर्नशिप के अवसर: साझेदार कंपनियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के आधार पर पोर्टल पर इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए जा सकते हैं। इन इंटर्नशिप के अवसरों में प्रस्तावित इंटर्नशिप का विवरण शामिल होगा, जैसे स्थान, भूमिकाएं/कार्य, अवधि, आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अन्य विशेष आवश्यकता, कंपनी द्वारा प्रदान किए गए कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन/सुविधाएं आदि। कंपनियां पायलट परियोजना अवधि के दौरान नियमित रूप से इंटर्नशिप पोस्ट करने में सक्षम होंगी।

2.3 अभ्यर्थी पंजीकरण और प्रोफ़ाइल निर्माण: अभ्यर्थियों को पहले आधार प्रमाणीकरण या ई-केवाईसी के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, प्रमाणपत्र (यदि कोई हो), नामांकित व्यक्ति का विवरण और अन्य प्रासंगिक विवरण जैसी जानकारी अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर निर्दिष्ट अनुसार प्रदान की जानी है। अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षिक योग्यता और प्रमाणपत्रों का प्रमाण अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को पोर्टल पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सभी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और कोई भी अपात्रता मानदंड लागू नहीं होता है। प्रस्तुत विवरण के आधार पर, अभ्यर्थी के लिए पोर्टल द्वारा एक बायोडाटा तैयार किया जाएगा।

2.4 अभ्यर्थी आवेदन: अभ्यर्थियों द्वारा आधार सत्यापन के बाद, अपनी पसंदीदा क्षेत्रों, कार्यात्मक भूमिकाओं, स्थानों और अन्य मानदंडों के आधार पर इंटर्नशिप अवसरों को ब्राउज़ करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्थान (राज्य, जिला), क्षेत्र, कार्यात्मक भूमिका और योग्यता सहित अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर, अभ्यर्थी परिचालन मैनुअल में निर्दिष्ट सीमा के अनुसार इंटर्नशिप के अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी पायलट परियोजना की पूरी अवधि के दौरान निरंतर आधार पर इंटर्नशिप के लिए पंजीकरण और आवेदन कर सकेंगे।

ड्रॉपआउट/टर्मिनेशन के बाद पुन: आवेदन: प्रतिभागी कंपनी द्वारा ड्रॉपआउट* के रूप में चिह्नित इंटर्न को इंटर्नशिप के लिए नए सिरे से आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को पायलट परियोजना में इंटर्न के रूप में भाग लेने और शामिल होने का अधिकतम एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा।

एक इंटर्न जिसकी इंटर्नशिप सहभागी कंपनी द्वारा टर्मिनेट** कर दी गई है उसे फिर से पायलट परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

*ड्रॉपआउट आमतौर पर एक इंटर्न को संदर्भित करता है जो व्यक्तिगत कारणों, शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं या अन्य कारकों के कारण इंटर्नशिप के पूरा होने से पहले स्वेच्छा से छोड़ देता है।

**एक टर्मिनेट इंटर्न वह होता है जिसे आमतौर पर उनकी आंतरिक नीति के अनुसार प्रदर्शन संबंधी समस्याओं और/या कदाचार के कारण कंपनी/संगठन द्वारा इंटर्नशिप से हटा दिया गया है,

2.5 अभ्यर्थियों का चयन: पोर्टल द्वारा प्रत्येक इंटर्नशिप अवसर के लिए अभ्यर्थियों के एक पूल को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटर्नशिप के अवसरों की संख्या के आधार पर, आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और चयन के लिए कंपनी को भेजा जाएगा। चयन प्रक्रिया में, उन मानदंडों पर विचार किया जाएगा जो आवेदक के बीच व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। चयन मानदंड का उद्देश्य इंटर्नशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। उपरोक्त को सुनिश्चित करने के लिए, पोर्टल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ दिव्यांगजनों, जैसे सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए साधनों का उपयोग करेगा।

2.6 चयनित अभ्यर्थियों के इस पूल को चयन के लिए प्रत्येक कंपनी को भेजा जाएगा।

2.7 कंपनी द्वारा अभ्यर्थियों का चयन: चयन किए गए समूह से, कंपनियां अपने संबंधित चयन मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करने में सक्षम होंगी। पोर्टल के माध्यम से कंपनी द्वारा अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप ऑफर भेजे जाएंगे। एक बार जब कंपनी द्वारा अभ्यर्थी को प्रस्ताव भेजा जाता है, तो अभ्यर्थी पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति व्यक्त करने में सक्षम होगा। कंपनियों के उपयोग के लिए प्रस्ताव पत्र के लिए एक मॉडल प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

2.8 इंटर्नशिप में शामिल होना: अभ्यर्थी इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद, कंपनी पोर्टल पर इसकी पुष्टि करेगी। इस पुष्टि के बाद आकस्मिक व्यय के लिए अनुदान के रूप में 6,000 रुपये की पहली किश्त अर्थात् 3000 रुपये जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसे सरकार द्वारा अभ्यर्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इंटर्नशिप में शामिल होने की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर पहली किश्त वितरित की जाएगी। दूसरी किश्त (अर्थात् 3000 रुपये) इंटर्नशिप के 3 महीने पूरे होने के 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।

2.9 मासिक सहायता का भुगतान: इंटर्नशिप की पूरी अवधि के लिए इंटर्न को ₹9,000 की मासिक सहायता का भुगतान किया जाएगा। इसमें से हर महीने कंपनी ₹900 जारी करेगी, अर्थात् कंपनी सीएसआर निधि या स्वयं के निधि से प्रत्येक इंटर्न को कुल मासिक सहायता का 10% जारी करेगी। कंपनी/संगठन द्वारा भुगतान किए जाने के बाद, सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इंटर्न के आधार

से जुड़े बैंक खाते में 8,100 रुपये के अपने हिस्से का भुगतान करेगी। कंपनी का ₹900 प्रति माह का हिस्सा इंटर्न की उपस्थिति और संबंधित कंपनी नीतियों के पालन के अनुपात में हो सकता है। सरकारी हिस्से को कंपनी/संगठन द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जाएगा। मासिक सहायता की उपरोक्त राशि मार्च 2026 से चल रहे पायलट परियोजना के सक्रिय इंटर्न के लिए उनकी इंटर्नशिप की शेष अवधि के लिए भी लागू है।

2.10 समापन प्रमाणपत्र: इंटर्नशिप की संपूर्ण अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने पर, साझेदार कंपनी द्वारा पोर्टल के माध्यम से इंटर्न को समापन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र का एक मॉडल प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध होगा। यह प्रमाण पत्र केवल साझेदार कंपनियों द्वारा जारी किया जाएगा।

2.11 सहभागिता प्रमाणपत्र: यदि कोई इंटर्न इंटर्नशिप जल्दी छोड़ देता है (बीच में ही बाहर हो जाता है), तो अनुरोध करने पर पोर्टल के माध्यम से एक पीएमआईएस सहभागिता प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है, बशर्ते इंटर्न ने निर्धारित इंटर्नशिप अवधि की कम से कम आधी अवधि पूरी कर ली हो।

3. कंपनियों के लिए दिशानिर्देश

3.1. पीएमआईएस सेल की स्थापना: साझेदार कंपनियां/संगठन पायलट परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए एक पीएमआईएस सेल स्थापित करेंगे। पीएमआईएस सेल में निम्नलिखित सदस्य शामिल हो सकते हैं:

- **पीएमआईएस सेल के प्रमुख**: निदेशक / सीएचआरओ / समकक्ष वरिष्ठ अधिकारी जो **सहभागी कंपनी / संगठन के लिए** हस्ताक्षरकर्ता और समग्र जवाबदेह अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे
- **मानव संसाधन प्रतिनिधि**
- **वित्त प्रतिनिधि**
- **सीएसआर प्रतिनिधि**
- **आवश्यकतानुसार प्रौद्योगिकी/आईटी प्रतिनिधि**

3.2 इंटर्नशिप पोस्टिंग: साझेदार कंपनियां इंटर्नशिप के अवसरों को स्पष्ट भूमिका विवरण, स्थान, इंटर्नशिप अवधि, अतिरिक्त प्रोत्साहन/लाभ और अन्य का विवरण देते हुए पोस्ट करेंगी। कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इंटर्नशिपधारक को एक ऐसे कौशल पर वास्तविक कार्य अनुभव प्रदान करे जिसमें कंपनी सीधे शामिल हो। यह सख़्ती से सुनिश्चित किया जाएगा कि इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य/वास्तविक वातावरण में हो, न कि कक्षा में। कंपनियां पायलट परियोजना अवधि के दौरान नियमित रूप से इंटर्नशिप पोस्ट कर सकेंगी।

कंपनियों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है:

- साझेदार कंपनी अपनी कंपनी में इस तरह के इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर सकती है या वह निम्नलिखित कंपनियों के साथ साझेदारी कर सकती है:
  - इसकी अग्र और पश्च आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कंपनियां/एमएसएमई (जैसे नेटवर्क संस्थाएं/सहायक कंपनियां/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता आदि)), या;

- इसके समूह में शामिल अन्य कंपनियां/संस्थाएं।

- कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे इंटर्नशिप के लिए आवश्यकता से अधिक योग्यता निर्धारित न करें।
- कंपनियों को सफाईकर्मी, डिलीवरी कर्मचारी, कुली, सुरक्षा गार्ड, ऑफिस बॉय आदि जैसी अकुशल पदों के लिए इंटर्नशिप की पेशकश नहीं करनी चाहिए।
- कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत दी जाने वाली इंटर्नशिप केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत उनके द्वारा पेश किए जाने वाले अन्य कौशल/अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप/प्रशिक्षण कार्यक्रम से अलग हो।
- साझेदार कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इंटर्नशिप कार्यक्रम और अपनी कंपनी और अपनी अग्र और पश्च भाग की आपूर्ति श्रृंखला (जैसे आपूर्तिकर्ताओं/ग्राहकों/विक्रेताओं) या अपने समूह की अन्य कंपनियों/संस्थानों में पेश किए जाने वाले विभिन्न इंटर्नशिप अवसरों का मार्गदर्शन करें।
- कंपनियां अपनी आंतरिक आवश्यकताओं के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों से अभ्यर्थियों को जुटा सकती हैं।

3.3 आवेदन चयन: कंपनियों को अपनी स्वयं की चयन प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन करना आवश्यक है, जिसमें मूल्यांकन या साक्षात्कार शामिल हो सकता हैं, जैसा कि उचित समझा जाए। अभ्यर्थियों के चयन, अस्वीकृति या प्रतीक्षा सूची से संबंधित सभी कार्रवाइयों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा और पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पीएमआईएस पोर्टल पर विधिवत दर्ज किया जाएगा। कंपनियों को पोर्टल के माध्यम से भेजे गए सभी चयनित आवेदनों को संसाधित करना होगा और पोर्टल पर उनकी संबंधित स्थिति अर्थात् चयनित/अस्वीकृत/प्रतीक्षा सूची आदि को अंकित करना होगा। अभ्यर्थियों की अस्वीकृति का कारण कंपनी द्वारा पोर्टल में दर्ज किया जाएगा।

3.4 प्रस्ताव पत्र जारी करना: चयनित अभ्यर्थियों को औपचारिक प्रस्ताव पत्र जारी किए जाएंगे और इंटर्नशिप भूमिका, स्थान, अवधि, अतिरिक्त लाभ, रिपोर्टिंग प्राधिकरण और अन्य शामिल होने की औपचारिकताओं से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी।

3.5 ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया: साझेदार कंपनियां ऑफर रद्द होने और अनुपस्थिति की संभावना कम करने के लिए चयनित इंटर्न के साथ सक्रिय रूप से संपर्क करेंगी और इंटर्नशिप में शामिल होने की पुष्टि पीएमआईएस पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। कंपनियों द्वारा प्रत्येक इंटर्न को शामिल होने पर पर्यवेक्षक या सलाहकार नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को प्रत्येक इंटर्न को सॉफ्ट और रोजगार कौशल प्रदान करने या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3.6 इंटर्नशिप के दौरान इंटर्न की सहायता : साझेदार कंपनियां एक सुव्यवस्थित इंडक्शन कार्यक्रम और सलाहकारों के समय पर नियुक्ति के माध्यम से इंटर्न की ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करेंगी। साझेदार कंपनियां इंटर्न की उपस्थिति की निगरानी करेंगी और अभ्यर्थियों का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए

अपने स्वयं के तंत्र का पालन करेंगी। अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण योजना और त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट (क्यूपीआर) को कंपनी द्वारा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।

यदि कोई इंटर्न इंटर्नशिप पूरा होने से पहले ही छोड़ देता है, तो कंपनी को इंटर्न को 'ड्रॉपआउट' के रूप में चिह्नित करके पोर्टल के माध्यम से सरकार को यह जानकारी देनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकार द्वारा अभ्यर्थी को कोई और भुगतान नहीं किया जाएगा। उपस्थिति, आचार संहिता और ड्रॉपआउट के संबंध में कंपनी की मानक नीतियां लागू की जाएंगी।

इंटर्नशिप अवधि के दौरान प्लेसमेंट ऑफर (पीओ) प्राप्त करने वाले और संगठन में शामिल होने वाले इंटर्न को, 'ड्रॉपआउट' इंटर्न के रूप में नहीं माना जाएगा।

3.7 इंटर्न की सेवामुक्ति: कंपनियां एक इंटर्न को सेवामुक्त कर सकती हैं यदि उनकी आंतरिक नीति के अनुसार प्रदर्शन के संबंधी समस्याओं और/या कदाचार हैं। कंपनियों को पोर्टल पर सेवामुक्ति का कारण दर्ज करना होगा।

3.8 मासिक सहायता का भुगतान: साझेदार कंपनियां मासिक सहायता के अपने हिस्से का भुगतान करेंगी और हर महीने की 5 तारीख से पहले समय पर पोर्टल पर भुगतान विवरण अपलोड करेंगी।

3.9 शिकायतों का समाधान: उठाई गई सभी शिकायतों को निर्धारित समय के भीतर नियमित रूप से समाधान किया जाएगा।

3.10 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इंटर्नशिप का प्रस्ताव से मंत्रालय, या संबंधित कंपनी और चयनित इंटर्न के बीच नियोक्ता-कर्मचारी के किसी भी संविदात्मक या कानूनी संबंध को स्थापित नहीं करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इंटर्नशिप की इस तरह के प्रस्ताव को इंटर्नशिप की अवधि के दौरान या उसके बाद में संबंधित कंपनी या मंत्रालय द्वारा भविष्य में रोजगार के प्रस्ताव या वादे के रूप में नहीं माना जा सकता है।

4. अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

4.1 प्रोफ़ाइल पंजीकरण: अभ्यर्थियों को पीएमआईएस पोर्टल पर पूर्ण व्यक्तिगत, शैक्षिक और संपर्क विवरण प्रदान करके और ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करके पंजीकरण करना आवश्यक है।

4.2 आवेदन प्रक्रिया: पंजीकृत अभ्यर्थी पीएमआईएस पोर्टल पर साझेदार कंपनियों द्वारा पोस्ट किए गए इंटर्नशिप अवसरों को देख सकते हैं और उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को पात्रता मानदंड, भूमिका विवरण, स्थान और इंटर्नशिप की अवधि की समीक्षा करनी चाहिए।

अभ्यर्थी पायलट परियोजना अवधि के दौरान निरंतर आधार पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने में सक्षम होंगे।

4.3 चयन और स्वीकृति: पीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त इंटर्नशिप प्रस्तावों को निर्धारित **समय अवधि के भीतर स्वीकार** या अस्वीकार किया जाना चाहिए। एक बार प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के **बाद, अभ्यर्थी से निर्धारित समय के भीतर इंटर्नशिप में** शामिल होने की अपेक्षा की जाती है।

4.4 इंटर्नशिप में शामिल होना: प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद, अभ्यर्थियों को साझेदार कंपनी द्वारा निर्दिष्ट तिथि और स्थान पर या निर्दिष्ट ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम **से इंटर्नशिप में शामिल होना होगा।** अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने और पहचान के **सत्यापन सहित सभी ज्वाइनिंग** औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक है।

4.5 इंटर्नशिप करना: इंटर्न से अनुशासन, समय की पाबंदी और पेशेवर आचरण बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। इंटर्न उस प्रतिष्ठान के नियमों और विनियमों का पालन करेंगे जहां इंटर्नशिप की जाती है, **जिसमें काम के घंटे, अवकाश, छुट्टियां,** आचार संहिता और कार्यस्थल अनुशासन से संबंधित नियम **शामिल हैं। इंटर्न को व्यवहारिक अनुभव** और कार्यस्थल कौशल हासिल करने और इंटर्नशिप के सफल **समापन के लिए नियमित उपस्थिति और** संतोषजनक **प्रदर्शन बनाए रखने के लिए सौंपे गए कार्य और प्रशिक्षण कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।**

4.6 विश्राम अवकाश: चिकित्सा आपातकाल, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु, या ऐसी ही किसी असाधारण और आपातकालीन परिस्थितियों के मामले में, कंपनी की नीतियों और/या मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश के अनुसार, इंटर्न को दो महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है। अवकाश अवधि को कवर करने के लिए इंटर्नशिप की अवधि बढ़ाई जाएगी। अवकाश अवधि के दौरान कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी; हालांकि, इंटर्न को अवकाश अवधि को कवर करने के लिए शेष इंटर्नशिप अवधि को पूरा करने के **लिए फिर से काम पर लौटने की अनुमति दी** जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी 6 महीने की **इंटर्नशिप के दौरान एक महीने का अवकाश** लेता है, तो उसकी कुल इंटर्नशिप अवधि एक और महीने **के लिए बढ़ा दी जाएगी।**

4.7 ड्रॉपआउट: इंटर्नशिप छोड़ना आमतौर पर वह इंटर्न होता है जो व्यक्तिगत कारणों, शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं या अन्य कारकों के कारण इंटर्नशिप **पूरी होने से पहले स्वेच्छा से छोड़ देता है। इंटर्न को** पीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से इंटर्नशिप छोड़ने **के लिए अनुरोध करना होगा। प्रतिभागी कंपनी की** मंजूरी के बाद ही ड्रॉपआउट की पुष्टि की जाएगी।

कोई भी अभ्यर्थी जो अपनी इंटर्नशिप बीच में ही छोड़ देता है, उसे पीएमआईएस के तहत इंटर्नशिप में शामिल होने के लिए केवल एक अन्य अवसर की अनुमति दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी अपना दूसरे इंटर्नशिप अवसर छोड़ देता है, तो उसे फिर से पायलट परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.8 इंटर्नशिप समाप्ति: कंपनी/संगठन द्वारा कंपनी/संगठन की आंतरिक नीति के अनुसार प्रदर्शन संबंधी समस्याओं और/या कदाचार के कारण किसी इंटर्न की इंटर्नशिप को सहभागी कंपनी/संगठन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। सहभागी कंपनी/संगठन द्वारा इंटर्नशिप समाप्त किए गए इंटर्न को फिर से पायलट परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.9 रोजगार क्षमता बढ़ाना: अभ्यर्थियों को अपने करियर की आकांक्षाओं के लिए प्रासंगिक तकनीकी, पेशेवर और सॉफ्ट कौशल विकसित करने के लिए इंटर्नशिप अनुभव का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

5. प्रदर्शन की मान्यता: कंपनियों की नीतियों के अनुसार इंटर्न के प्रदर्शन और आचरण का कंपनियों द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा। योजना के लिए आत्मविश्वास पैदा करने और आकांक्षात्मक मूल्य पैदा करने के लिए, कंपनियों को उत्कृष्ट इंटर्न को सम्मानित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और यह मान्यता कंपनियों की वेबसाइटों और इस पोर्टल पर प्रदर्शित की जा सकती है।